an>

Title: Introduction of the Constitution (Amendment) Bill, 2014 (Amendment of article 171).

श्री शैनेश कुमार (भागनपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री शैलेश कुमार: महोदय, मैं विधयक पुरःस्थापित करता हूं।